

आमंत्रण-पत्र

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

जापांक-सं०-09/रा०आ०नि०(विविध)-09/2018

279/311.198

दिनांक-06 मार्च 19

प्रेषक,

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
प्रधान सचिव, सचिव, निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय :-

दिनांक-15.03.2019 (शुक्रवार) को अपने विभाग के नामित नोडल पदाधिकारी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के राज्य अन्तर्गत अनुपालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से सम्बन्धित कार्यशाला के आयोजन में भाग लेने हेतु निदेशित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अनुरोधपूर्वक कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने तथा दिव्यांगों के बीच जागरूकता, उन्मुखीकरण एवं क्षमता विकास के लिए राज्य अन्तर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक-15.03.2019 (शुक्रवार) को पूर्वा० 11:30 बजे से अप० 01:30 बजे तक राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) की अध्यक्षता में विविध विभागों के नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यशाला के दौरान विशेषकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के राज्य अन्तर्गत अनुपालन की व्यावहारिक कठिनाइयों के विषय में चर्चा की जायेगी। उक्त बैठक में विविध विभागों द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के सम्बन्ध में बिहार राज्य में अनुपालन स्थिति से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष-2018-19 के विषय में भी मार्गदर्शन प्रदान किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग के नामित नोडल पदाधिकारी (यदि पूर्व से नामित न हों तो नामित करते हुए) को राज्य आयुक्त निःशक्तता के सभा कक्ष, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना में दिनांक-15.03.2019 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे से उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

कार्यशाला आयोजन की तिथि - 15.03.2019 (शुक्रवार)
समय - पूर्वा० 11:30 बजे से अप० 01:30 बजे तक
कार्यशाला स्थल - पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर
स्थित राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय का सभा कक्ष

विश्वासभाजन
अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं०-09/रा०आ०नि०(विविध)-09/2018

279/311.198

दिनांक-06 मार्च 19

प्रतिलिपि:-सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि दिनांक-15.03.2019 (शुक्रवार) को उक्त विषय से सम्बन्धित आयोजित कार्यशाला में दिव्यांगता मामलों के जानकार किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा करें।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

कृ०पृ०३०.....